भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 51
उत्तर देने की तारीख 20 जुलाई, 2026
29 आषाढ़, 1948 (शक)

खेल विकास निधियों का आवंटन

51. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित वर्ष 2014-15 से खेल विकास के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या

(ख) क्या सरकार वर्तमान आवंटन को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की खेल संबंधी बुनियादी ढाँचे और एथलीट विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मानती है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका औचित्य क्या है और यदि नहीं, तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच खेल निधियों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पदक तालिका में हरियाणा के उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए उसे कोई विशेष वित्तीय आवंटन या सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): इस मंत्रालय द्वारा निधियों का आवंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नहीं, बल्कि स्कीम-वार किया जाता है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से आवंटित, जारी तथा उपयोग की गई निधियों का विवरण विभाग की वेबसाइट (https://yas. gov.in/en/sports/financial-reports) पर उपलब्ध है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए खेल विभाग को ₹3113.36 करोड़ का आवंटन किया गया है।

'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, देश (हरियाणा सहित) में खेलों के विकास, जिसमें खेल अवसंरचना का विकास तथा एथलीटों के विकास संबंधी आवश्यकताएँ भी शामिल हैं, का दायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। संघ सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करते हुए उनके प्रयासों को पूरा करती है।

इसके अतिरिक्त, खेलो इंडिया स्कीम एक मांग-आधारित स्कीम है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता तथा स्कीम के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विचार किया जाता है। खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत खेल अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन, खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) की स्थापना, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों (केआईएससीई), खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियों (केआईएए) को सहायता तथा खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) के प्रशिक्षण एवं सहायता का प्रावधान है। खेलो इंडिया के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का विवरण https://dashboard.kheloindia.gov.in पर उपलब्ध है।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा भी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण एवं कोचिंग हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई), खेल प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) तथा विस्तार केंद्र संचालित किए जाते हैं। इस प्रकार, खेल सुविधाओं एवं खेल अवसंरचना के विकास के साथ-साथ खेल प्रशिक्षण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। उपर्युक्त स्कीमों का विवरण मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
